मुस्लिम समुदाय की एकता को सुनिश्चित करने हेतु सभी मताले को मक्का के मताले से संबंधित करना

﴿ ربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصاً على وحدة الأمة ﴾

[हिन्दी – Hindi – هندي]

मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ ربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصاً على وحدة الأمة ﴾

« باللغة الهندية »

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

मुस्लिम समुदाय की एकता को सुनिश्चित करने हेतु सभी मताले को मक्का के मताले से संबंधित करना

प्रश्न :

कुछ लोग रमज़ान के महीने के प्रवेष करने (प्रारम्भ होने) इत्यादि में उम्मत की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए इस बात का मुतालबा करते हैं कि समस्त मताले (चाँद के उगने के स्थान) को मक्का के मताले से संबंधित कर दिया जाए, इस विषय में आपका क्या विचार है?

उत्तर :

खगोलीय विज्ञान के दृष्टिकोण से यह असम्भव है, क्योंकि चाँद के मताले (अर्थात् चाँद के उगने के स्थान), जैसाकि शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या –रहिमहुल्लाह– का कहना है, इस विज्ञान के गुरूवों की सर्वसम्मति के के

अनुसार विभिन्न होते हैं, और जब मताले विभिन्न होते हैं तो शरई और अक़ली प्रमाणों (**सैद्धांतिक और पुरातात्विक साक्ष्य**) का तकाज़ा यह है कि प्रत्येक देश का हुक्म विभिन्न हो।

शरई प्रमाण यह है कि अल्लाह तआला ने फरमाया है:

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

''तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए।'' (सूरतुल बक़रा: 185)

मान लो कि धरती के अन्तिम छोर में कुछ लोगों ने इस महीने को नहीं पाया (अर्थात् चाँद नहीं देखा) और मक्का वालों ने चाँद देख लिया (महीना पा लिया) तो इस आयत का सम्बोध्य (मुखातब) उन लोगों को कैसे बनाया जा सकता है जिन्होंने इस महीने को नहीं पाया?!

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) متفق عليه.

''चाँद देख कर रोज़ाा रखो और चाँद देखकर रोज़ा तोड़ो।'' (बुखारी व मुस्लिम)

उदाहरण स्वरूप यदि मक्का वालों ने चाँद देख लिया तो हम पाकिस्तान वालों और उनके पीछे अन्य पूरबी देशों के लोगों को कैसे बाध्य कर सकते हैं कि वह रोज़ा रखें, हालाँकि हमें ज्ञात है कि उनके छितिज (उफुक़) में चाँद नहीं उगा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे चाँद देखने पर लंबित किया है।

अक़्ली प्रमाण (सैद्धांतिमक प्रमाण) से तात्पर्य सहीह क़ियास (अनुमान) है जिसका प्रतिरोध करना असम्भव है। चुनांचि हम जानते हैं कि संसार के पूरबी दिशा में फज्र, पश्चिमी दिशा से पहले उदय होती है, प्रश्न यह है कि जब पूरबी दिशा में फज्र उदय होगयी, तो क्या हम पर अनिवार्य है कि खाने पीने से रूक जायें जबकि हमारे यहाँ अभी रात ही है ?

इसका उत्तर नहीं में होगा। और जब सूर्य पूरबी दिशा में डूब गया किन्तु हमारे यहाँ अभी दिन ही है तो क्या हमारे लिये रोज़ा इफ़्तार करना वैध है? इसका उत्तर है कि नहीं। अतः चाँद पूर्ण रूप से सूर्य ही के समान है, अन्तर इतना है कि चाँद की समय–सारणी मासिक है और सूर्य की समय सारणी दैनिक है। तथा जिस अस्तित्व का यह फरमान है किः

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ ﴾ (البقرة: ١٨٧)

''रोज़े की रातों में अपनी पत्नियों से सम्भोग करना तुम्हारे लिए वैध किया गया, वह तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनके पोशाक हो, तुम्हारी गुप्त

खियानतों को अल्लाह तआला जानता है, उसने तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार करके तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूंढ़ने की अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोज़े पूरे करो, और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में ऐतिकाफ़ में हो। यह अल्लाह तआला की सीमाऐं हैं, तुम इनके निकट भी न जाओ। इसी प्रकार अल्लाह तआला अपनी आयतें लोगों के लिए वर्णन करता है ताकि वे बचें। (सूरतुल बक्राः 187)

उसी अस्तित्व का यह फरमान भी हैः

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

''तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए।'' (सूरतुल बक़्राः 185)

चुनांचि शरई और अक़्ली प्रमाणों का तकाज़ा यह है कि हम रोज़ा और इफ़्तार से संबंधित प्रत्येक स्थान का एक विशिष्ट हुक्म निर्धारित करें, और उसे एक प्रत्यक्ष चिन्ह से जोड़ दिया जाए जिसे अल्लाह तआला ने अपनी किताब में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी सुन्नत में निर्धारित किया है और वह है चाँद का देखना और सूर्य अथवा फज्र का उगना।